प्रकरण संख्याः— 718 / 2025

वन्दना बनाम उषा वगैरहा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16/3/2026	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 01.12.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम गठिलाखेड़ा पटवार हल्का गठिलाखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 62 की वादग्रस्त आराजी संख्या 674/1 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 24.01.2025 को आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2025/1188 दिनांक 13.05.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/विभाजन/901 दिनांक 02.04.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित रहे। प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त आपत्ति/आक्षेप हेतु अवसर दिये गये, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्ति की गई। वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं की गई। मौके पर वादी के उपस्थित रहने एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दिये जाने तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 16/3/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. वन्दना गट्टाणी पत्नी संदीप कुमार गट्टाणी आयु वयस्क निवासी प्रतापनगर, माण्डल तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा

–वादीया

बनाम

1. उषा देवी पत्नी कुन्दनमल सुतरिया आयु वयस्क निवासी 27 पार्श्वनाथ सोसायटी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रेखा पत्नी शिवनारायण हेड़ा आयु वयस्क निवासी जी 102 हरणी रोड़ श्याम विहार शास्त्रीनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. वन्दना पत्नी नरेन्द्र जैन आयु वयस्क निवासी यू 234 आजादनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सुधा देवी पत्नी राजेश रांका आयु वयस्क निवासी कुण्ड का चौक गंगापुर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
6. उप पंजीयक भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 718/2025 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत उपस्थित। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 16.03.2026 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी के मौके पर उपस्थित रहने एवं प्रतिवादीगण को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

16/3/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा